

367

## कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:-व.15()आ.एवं क./पोर्टल/2017/ 5665-66

दिनांक:- 20/10/2020

श्री ज्ञानेश कुमार

एस-1 झारखंड अपार्टमेंट,

झारखंड मोड, जनरल सगत सिंह मार्ग,

खातीपुरा, जयपुर।

विषय:-आपके द्वारा संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद संख्या 09200678685675 के संदर्भ में।


प्रसंग:-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा का पत्र क्रमांक सीआईडी/सी.बी./संपर्क/2020/7483 दिनांक 15.10.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके द्वारा संपर्क पोर्टल पर दर्ज उक्त विषयक परिवाद के संबंध में लेख है कि राजस्थान पुलिस कल्याण निधि से स्वीकृत ऋण की संबंधित से वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है। निर्धारित अवधि में ऋण की अदायगी नहीं करने की स्थिति में कार्यालय के परिपत्र क्रमांक 5079 दिनांक 15.09.2020 के द्वारा संबंधित कार्मिक से वसूली प्रक्रिया निर्धारित की गयी है।

सूचनार्थ प्रेषित है।

भवदीय


  
(अशोक कुमार गुप्ता)

उप. महानिरीक्षक पुलिस,

आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण,

राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 7483 दिनांक 15.10.2020 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

  
उप महानिरीक्षक पुलिस,

आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण,

राजस्थान, जयपुर।

267  
2/11/20

2675  
2-11-20